

सर्वोच्च न्यायालय, भारत में
सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार

दीवानी याचिका सं 2022 का 7121

एम. सुरेश कुमार रेड्डी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

केनरा बैंक अन्य अन्य।

..... प्रतिवादी(गण)

निर्णय

अभय एस. ओका., जे.

वास्तविक पहलू

1. प्रतिवादी-बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद, तेलंगाना के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संक्षेप में, आईबी संहिता) की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन एक निगमित ऋणी मेसर्स क्रांति एडिफिस प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दायर किया गया था। वर्तमान अपीलकर्ता निगमित ऋणी का निलंबित निदेशक होने का दावा करता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (संक्षेप में, 'एन. सी. एल. टी.') ने 27 जून 2022 के एक आदेश द्वारा प्रतिवादी बैंक द्वारा दायर

आवेदन को स्वीकार कर लिया और आई. बी. संहिता की धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा की। पीड़ित व्यक्ति होने का दावा करने वाले अपीलकर्ता ने उक्त आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (संक्षेप में, 'एन. सी. एल. ए. टी.')

के समक्ष अपील की। 5 अगस्त 2022 के विवादित फैसले से, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील को खारिज कर दिया है।

2. पहला प्रतिवादी, केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का उत्तराधिकारी है, जिसने एन. सी. एल. टी. को आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन किया था। सिंडिकेट बैंक का विलय पहले प्रतिवादी-केनरा बैंक में हो गया था। सिंडिकेट बैंक द्वारा 2 अप्रैल 2016 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा निगमित ऋणी को 28 फरवरी 2017 तक वैध एक वर्ष के लिए ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी गई थी। 110 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी सीमा को मंजूरी देने के अलावा, 12 करोड़ रुपये की एक सुरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधा सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रदान की गई थी। इस प्रकार, सिंडिकेट बैंक द्वारा निगमित ऋणी को दी गई सुविधाएँ निधि-आधारित (ओवरड्राफ्ट सुविधा) और गैर-निधि-आधारित (बैंक गारंटी) थीं।

3. आईबी कोड की धारा 7 के तहत आवेदन में, सिंडिकेट बैंक ने कहा कि 30 नवंबर 2019 तक, सुरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत निगमित ऋणी की देनदारी रु.74,52,87,564.93 थी। बकाया बैंक गारंटी के प्रति निगमित ऋणी की देनदारी रु. 19,16,20,100 थी।

4. 21 अक्टूबर 2022 को, इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए, अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का एक बयान दर्ज किया कि एकमुश्त निपटान योजना के तहत निपटान का प्रस्ताव प्रथम प्रतिवादी-बैंक को प्रस्तुत किया गया है और 6 करोड़ रुपये की राशि प्रथम प्रतिवादी-बैंक के पास जमा की गई है। अंततः, उक्त प्रस्ताव को प्रथम प्रतिवादी बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान अपील को सुनवाई के लिए लिया गया।

प्रस्तुतियाँ

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पहले प्रतिवादी को देय बकाया राशि का एकमुश्त निपटान करने के लिए बार-बार प्रयास किए थे। लेकिन उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने *विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड*¹ के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए भी कि निगमित ऋणी की ओर से वित्तीय ऋण और व्यतिक्रम का अस्तित्व स्थापित हो गया था, एनसीएलटी धारा 7 के तहत आवेदन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। अच्छे कारणों से, एन. सी. एल. टी. आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर सकता था। उन्होंने *विदर्भ इंडस्ट्रीज*¹ के मामले में निर्णय की समीक्षा की मांग करने वाली

¹ 2022 (8) एससीसी 352

दीवानी याचिका सं 2022 का 7121

एक समीक्षा याचिका में इस न्यायालय द्वारा 22 सितंबर 2022 को पारित आदेश की ओर भी निष्पक्ष रूप से इशारा किया।

6. उन्होंने तेलंगाना सरकार और सिंडिकेट बैंक के बीच पत्राचार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। तेलंगाना सरकार द्वारा निगमित ऋणी को अनुबंध दिए गए थे। उन्होंने तेलंगाना सरकार की ओर से कार्यकारी अभियंता द्वारा संबोधित एक पत्र दिनांकित 5 नवंबर 2018 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें बैंक से निगमित ऋणी के अनुरोध पर उक्त बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी का विस्तार करने का अनुरोध किया गया था। इसी तरह, 7 अगस्त 2019 के एक पत्र द्वारा, तेलंगाना सरकार ने सिंडिकेट बैंक से उक्त पत्र में उल्लिखित 29 बैंक गारंटी का विस्तार करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि निगमित ऋणी ने 9 जनवरी 2020 को बैंक को एक पत्र लिखा था, जिसमें बैंक गारंटी का विस्तार करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने 8 जनवरी 2020 को तेलंगाना सरकार द्वारा बैंक को संबोधित एक पत्र की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें बैंक से उसमें उल्लिखित सात बैंक गारंटी का विस्तार करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद, सिंडिकेट बैंक ने बैंक गारंटी का विस्तार नहीं किया। इस प्रकार, एक तरह से, बैंक गारंटी का विस्तार करने में बैंक की विफलता ने निगमित ऋणी को व्यतिक्रम करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बैंक व्यतिक्रम को ट्रिगर करने

के लिए जिम्मेदार है। विद्वान अधिवक्ता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पारित अंतरिम आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसके द्वारा प्रथम प्रतिवादी-बैंक को राज्य सरकार को डिमांड ड्राफ्ट सौंपने सहित बैंक गारंटी के आह्वान के पत्रों के अनुसार दंडात्मक कदम उठाने से रोक दिया था। उन्होंने आग्रह किया कि इस आदेश के अनुसार, एन. सी. एल. टी. को धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

7. प्रथम प्रतिवादी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने सबसे पहले बताया कि *विदर्भ इंडस्ट्रीज*¹ के मामले में निर्णय उस मामले के विशिष्ट तथ्यों में है, जैसा कि उसी पीठ द्वारा समीक्षा याचिका का निपटारा करते समय समझाया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ई. एस. कृष्णमूर्ति और अन्य बनाम भारत हाई टेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड² के मामले में इस न्यायालय का निर्णय अभी भी लागू है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार जब एन. सी. एल. टी. संतुष्ट हो जाता है कि वित्तीय ऋण है और व्यतिक्रम हुआ है, तो वह धारा 7 के तहत एक आवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बैंक गारंटी के विस्तार के लिए निगमित ऋणी द्वारा किए गए अनुरोध को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था जैसा कि पहले प्रतिवादी द्वारा 18 जनवरी 2021 को निगमित ऋणी को संबोधित एक पत्र द्वारा सूचित किया गया था। इसलिए वह प्रस्तुत करेंगे कि धारा 7 के

2 (2022) 3 एससीसी 161

तहत आवेदन स्वीकार करने में एन. सी. एल. टी. द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

हमारा दृष्टिकोण

8. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इस न्यायालय ने *इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य*³ के मामले में धारा 7 के दायरे को समझाया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 28 से 30 इस प्रकार हैं :

"28. जब वित्तीय लेनदार द्वारा प्रक्रिया शुरू करने की बात आती है, तो धारा 7 प्रासंगिक हो जाती है। धारा 7 (1) से स्पष्टीकरण के तहत, निगमित ऋणी के किसी भी वित्तीय लेनदार को देय वित्तीय ऋण के संबंध में व्यतिक्रम आता है- यह आवश्यक नहीं है कि यह आवेदक वित्तीय लेनदार को देय ऋण हो। धारा 7 (2) के तहत उप-धारा (1) के तहत आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति से किया जाना है जैसा कि निर्धारित किया गया है, जो दिवाला और शोधन अक्षमता नियम (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन), 2016 तक ले जाता है। नियम 4 के तहत, एक वित्तीय लेनदार द्वारा फॉर्म 1 में आवश्यक दस्तावेजों और रिकॉर्ड से साथ आवेदन किया जाता है। प्रपत्र 1, 5 भागों में एक विस्तृत प्रपत्र है, जिसमें भाग 1 में आवेदक का विवरण,

3 (2018) 1 एससीसी 407

भाग II में निगमित ऋणी का विवरण, भाग III में प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण, भाग IV में वित्तीय ऋण का विवरण और भाग V में व्यतिक्रम से दस्तावेज, रिकॉर्ड और साक्ष्य की आवश्यकता होती है। नियम 4 (3) के तहत, आवेदक को निगमित ऋणी के पंजीकृत कार्यालय में पंजीकृत डाक या त्वरित डाक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास दायर आवेदन की एक प्रति भेजनी होती है। वह गति, जिसके भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर व्यतिक्रम के अस्तित्व का पता लगाना है, महत्वपूर्ण है। यह आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यह धारा 7 (5) के स्तर पर है, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम हुआ है, कि निगमित ऋणी को यह इंगित करने का अधिकार है कि एक व्यतिक्रम इस अर्थ में नहीं हुआ है कि "ऋण", जिसमें एक विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। जिस क्षण न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समाधान हो जाता है कि कोई व्यतिक्रम हुआ है, आवेदन को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह अधूरा न हो, इस मामले में वह न्यायनिर्णायक

प्राधिकारी से नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दोष को सुधारने के लिए आवेदक को नोटिस दे सकता है। उप-धारा (7) से तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तब वित्तीय लेनदार और निगमित ऋणी को ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से 7 दिनों के भीतर पारित आदेश के बारे में सूचित करेगा, जैसा भी मामला हो।

29. धारा 7 की योजना धारा 8 के तहत योजना के विपरीत है जहां एक प्रचालन लेनदार को, व्यतिक्रम होने पर, संहिता की धारा 8 (1) में प्रदान किए गए तरीके से असंदत प्रचालन ऋण की कोई मांग सूचना देना होता है। धारा 8 (2) के तहत, निगमित ऋणी, मांग सूचना या उप-धारा (1) में उल्लिखित बीजक की प्रति की प्राप्ति के 10 दिनों की अवधि के भीतर, किसी विवाद के अस्तित्व को प्रचालन लेनदार के ध्यान में ला सकता है या किसी मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का अभिलेख, जो पहले से मौजूद है -यानी निगमित ऋणी को ऐसा सूचना या ऐसे बीजक की प्राप्ति से पूर्व। जिस क्षण इस तरह के विवाद अस्तित्व में आता है, प्रचालन लेनदार संहिता के चंगुल से बाहर हो जाता है।

30. दूसरी ओर, जैसा कि हमने देखा है, एक निगमित ऋणी के मामले में जो वित्तीय ऋण का व्यतिक्रम करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मात्र सूचना उपयोगिता के

रिकॉर्ड या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य को देखना होता है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि चूक हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋण तब तक विवादित है जब तक कि ऋण "देय" है अर्थात् भुगतान योग्य है जब तक कि किसी कानून द्वारा बाधित नहीं किया जाता है या अभी तक इस अर्थ में देय नहीं हो गया है कि यह भविष्य की किसी तिथि को देय है। यह मात्र तभी साबित होता है जब यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित होता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और अन्यथा नहीं।

(जोर दिया गया)

9. *इनोवेटिव इंडस्ट्रीज*³ के मामले में लिए गए दृष्टिकोण का इस न्यायालय ने *ई. एस. कृष्णमूर्ति और अन्य*² के मामले में पालन किया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 32 से 34 इस प्रकार हैं:

32. *इनोवेटिव उद्योगों में [इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407, पैरा 28 और 30: (2018) 1 एससीसी (सिव) 356]*, इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 7 आई. बी. सी. के दायरे को समझाया है और कहा है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मात्र यह निर्धारित करना है

कि क्या "व्यतिक्रम" हुआ है अर्थात् क्या "ऋण" (जो अभी भी विवादित हो सकता है) बकाया था और उसका भुगतान नहीं किया गया था। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की मत है कि "व्यतिक्रम" हुआ है, तो उसे आवेदन को तब तक स्वीकार करना होगा जब तक कि यह अधूरा न हो। रोहिंटन एफ. नरीमन, जे. के माध्यम द्वारा बोलते हुए, न्यायालय ने कहा है: (एस. सी. सी. पीपी. 438-39, पैरा 28 और 30)

"28. जब वित्तीय लेनदार द्वारा प्रक्रिया शुरू करने वाली बात आती है, तो खंड 7 प्रासंगिक हो जाती है। धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण के तहत, निगमित ऋणी के किसी भी [एड. दो तारांकन चिह्नों के बीच के शब्द से मूल में जोर दिया गया है।] वित्तीय लेनदार [एड.: दो तारांकन चिह्नों के बीच के शब्द पर मूल रूप में जोर दिया गया है।] को देय वित्तीय ऋण के संबंध में व्यतिक्रम आता है - यह आवश्यक नहीं है कि यह आवेदक वित्तीय लेनदार को देय ऋण हो। धारा 7 (2) के तहत, उप-धारा (1) के तहत आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति से किया जाना है जैसा कि निर्धारित किया गया है, जो दिवाला और शोधन अक्षमता नियम (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन), 2016 तक ले जाता है। नियम 4 के तहत, एक वित्तीय लेनदार द्वारा फॉर्म 1 में आवश्यक

दस्तावेजों और रिकॉर्ड से साथ आवेदन किया जाता है। प्रपत्र 1, 5 भागों में एक विस्तृत प्रपत्र है, जिसमें भाग I में आवेदक का विवरण, भाग II में निगमित ऋणी का विवरण, भाग III में प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण, भाग IV में वित्तीय ऋण का विवरण और भाग V में व्यतिक्रम के दस्तावेज, रिकॉर्ड और साक्ष्य की आवश्यकता होती है। नियम 4 (3) के तहत, आवेदक को निगमित ऋणी के पंजीकृत कार्यालय में पंजीकृत डाक या त्वरित डाक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास दायर आवेदन की एक प्रति भेजनी होती है। वह गति, जिसके भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर व्यतिक्रम के अस्तित्व का पता लगाना है, महत्वपूर्ण है। यह आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यह धारा 7 (5) के स्तर पर है, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम हुआ है, कि निगमित ऋणी को यह इंगित करने का अधिकार है कि व्यतिक्रम इस अर्थ में नहीं हुआ है कि "ऋण", जिसमें विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। ऋण देय नहीं हो सकता है

यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। जिस क्षण न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समाधान हो जाता है कि कोई व्यतिक्रम हुआ है, आवेदन को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह अधूरा न हो, इस मामले में वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दोष को सुधारने के लिए आवेदक को नोटिस दे सकता है। उप-धारा (7) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तब वित्तीय लेनदार और निगमित ऋणी को ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से 7 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, पारित आदेश के बारे में सूचित करेगा।

* * *

30. दूसरी ओर, जैसा कि हमने देखा है, एक निगमित ऋणी के मामले में जो वित्तीय ऋण का व्यतिक्रम करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मात्र सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य को देखना होता है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि व्यतिक्रम हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋण तब तक विवादित है जब तक कि ऋण "देय" है अर्थात्

भुगतान योग्य है जब तक कि किसी कानून द्वारा बाधित नहीं किया जाता है या अभी तक इस अर्थ में देय नहीं हुआ है कि यह भविष्य की किसी तिथि को देय है। यह मात्र तभी होता है जब यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित होता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और अन्यथा नहीं।

33. वर्तमान मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उल्लेख किया कि उसने याचिका को विभिन्न तिथियों पर प्रवेश के लिए सूचीबद्ध किया था और अन्य बातों के साथ-साथ, पक्षकारों को समझौते की संभावना तलाशने की अनुमति देने के लिए इसे स्थगित कर दिया था। जाहिर है, कार्यवाही शुरू करने वाले सभी मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने देखा कि संयुक्त सहमति की शर्तें दिनांकित 12-2-2020 उसके समक्ष दायर की गई थीं। लेकिन यह सामान्य आधार है कि इन सहमति की शर्तों में उन सभी मूल याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया था जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष थे। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि 140 निवेशकों के दावों का प्रतिवादी द्वारा पूरी तरह से निपटारा

कर दिया गया है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि मूल याचिकाकर्ताओं के दावों में से जिन्होंने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन किया है, मात्र 13 का निपटारा किया गया है, जबकि इसके अनुसार "40 निपटान की प्रक्रिया में हैं और 39 लंबित हैं।" अंततः, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस आधार पर याचिका पर विचार नहीं किया कि आई. बी. सी. के तहत प्रक्रिया संक्षिप्त है, और यह व्यक्तिगत घर खरीदारों के प्रत्येक दावे का प्रबंधन या निर्णय नहीं ले सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चूंकि निपटान की प्रक्रिया "पूरी गंभीरता से" आगे बढ़ रही है, इसलिए सभी व्यक्तिगत दावों की जांच करने के बजाय, वह प्रतिवादी को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सभी शेष दावों को "गंभीरता से" निपटाने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करेगा। तदनुसार याचिका का निपटारा प्रतिवादी को शेष दावों का निपटान तीन महीने के भीतर करने का निर्देश देकर किया गया था, और यह कि यदि शेष मूल याचिकाकर्ताओं में से कोई भी निपटान प्रक्रिया से व्यथित है, तो वे कानून के अनुसार फिर से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी बरकरार रखा गया, जिसने इसके निष्कर्षों का समर्थन किया।

34. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से धारा 7 (5) आई. बी. सी. के तहत अपने क्षेत्राधिकार की शर्तों के बाहर काम किया है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मात्र यह सत्यापित करने का अधिकार है कि क्या कोई व्यतिक्रम हुआ है या यदि कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है। अपने निर्णय के आधार पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को या तो एक आवेदन को स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए। ये कार्यवाई के मात्र दो तरीके हैं जो धारा 7 (5) के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए खुले हैं। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी पक्ष को किसी विवाद को निपटाने के लिए अपने समक्ष कार्यवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

(जोर दिया गया)

10. इस प्रकार, एक बार जब एन. सी. एल. टी. संतुष्ट हो जाता है कि व्यतिक्रम हुआ है, तो धारा 7 के से आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए एन. सी. एल. टी. के पास शायद ही कोई विवेकाधिकार बचता हो। व्यतिक्रम को आई. बी. संहिता की धारा 3 की उप-धारा 12 के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

"3. परिभाषाएँ :- इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

(12) “व्यतिक्रम” से किसी ऋण का तब अंशदाय अभिप्रेत है, जब ऋण की संपूर्ण रकम या कोई भाग या किस्त देय और संदेय हो जाती है तथा उसे, यथास्थिति, ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा [संदत्त] नहीं किया जाता है:”

इस प्रकार, ऋण के किसी हिस्से का भुगतान न करना भी जब वह देय और भुगतान योग्य हो जाता है, तो यह एक निगमित ऋणी की ओर से व्यतिक्रम माना जाएगा। ऐसे मामले में, आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत प्रवेश के आदेश का पालन करना चाहिए। यदि एन. सी. एल. टी. को पता चलता है कि कोई ऋण है, लेकिन यह देय और भुगतान नहीं हुआ है, तो धारा 7 के तहत आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। अन्यथा, आवेदन को अस्वीकार करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

11. *विदर्भ इंडस्ट्रीज*¹ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर और विशेष रूप से, पैराग्राफ संख्या 86 से 89 में जो अभिनिर्धारित किया गया है, उस पर भरोसा रखा गया है। जो इस प्रकार है:

"86. भले ही धारा 7 (5) (ए) आई. बी. सी. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन ऐसी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से या स्वेच्छा से नहीं किया जा सकता है। यदि तथ्य और परिस्थितियाँ किसी विशेष तरीके से विवेकाधिकार का

प्रयोग सुनिश्चित करती हैं, तो विवेकाधिकार का प्रयोग उसी तरीके से करना होगा।

87. आम तौर पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एन. सी. एल. टी.) को धारा 7 आई. बी. सी. के तहत एक आवेदन स्वीकार करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा और ऋण के भुगतान में निगमित ऋणी की ओर से वित्तीय ऋण और व्यतिक्रम के अस्तित्व की संतुष्टि पर सी. आई. आर. पी. शुरू करना होगा, जब तक कि याचिका को स्वीकार नहीं करने के लिए अच्छे कारण न हों।

88. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एन. सी. एल. टी.) को निगमित ऋणी द्वारा प्रवेश के विरुद्ध बनाए गए आधारों पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, जब निगमित ऋणी के पक्ष में किसी अधिनिर्णय या डिक्री के प्रास्थगन के आधार पर प्रवेश का विरोध किया जाता है, और प्रदत्त/डिक्री राशि ऋण की राशि से अधिक हो जाती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वित्तीय लेनदार के आवेदन के प्रवेश को स्थगित रखने के लिए धारा 7 (5) (ए) आई. बी. सी. के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा, जब तक कि ऐसा न करने का अच्छा कारण न हो। उदाहरण के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, किसी भी पुरस्कार या डिक्री के बावजूद, वित्तीय लेनदार के आवेदन

को स्वीकार कर सकता है, यदि पुरस्कार/डिक्री राशि प्राप्ति में असमर्थ है। उदाहरण मात्र उदाहरणात्मक है।

89. इस मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एन. सी. एल. टी.) ने अपीलकर्ता के मामले को दरकिनार कर दिया है कि अपीलकर्ता के पक्ष में ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा 1730 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जा सकती थी, इस सरसरी तौर पर यह अवलोकन कि अपीलकर्ता और बिजली प्राप्तिकर्ता के बीच या अपीलकर्ता और बिजली नियामक आयोग के बीच यदि कोई विवाद है तो वे महत्वहीन थे।“

(जोर दिया गया)

12. एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी जिसमें इस आधार पर *विदर्भ इंडस्ट्रीज*¹ के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी कि *ई. एस. कृष्णमूर्ति*² के मामले पर अदालत का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था। 22 सितंबर 2022 के आदेश द्वारा समीक्षा याचिका का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"पैराग्राफ 90 और अन्य पैराग्राफ में स्पष्टीकरण वर्तमान मामले के संदर्भ में किया गया था। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निर्णयों में निर्णयों और टिप्पणियों को अधिनियम के प्रावधानों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

न्यायिक कथन और/या घोषणाएं किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में होती हैं।

किसी अधिनियम के शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक हो सकता है। विधियों की व्याख्या करने वाले न्यायाधीशों के शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

13. इस प्रकार, समीक्षा आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि *विदर्भ इंडस्ट्रीज*¹ के मामले में निर्णय इस न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्यों की स्थापना में था। इसलिए, *विदर्भ इंडस्ट्रीज*¹ के मामले में निर्णय को ऐसे दृष्टिकोण के रूप में नहीं पढ़ा और समझा जा सकता है जो *इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज*³ और *ई. एस. कृष्णमूर्ति*² के मामलों में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है। *इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज*³ के मामले में लिया गया दृष्टिकोण अभी भी अच्छा है।

14. इस मामले में, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि निगमित ऋणी द्वारा देय राशि में सुरक्षित ओवरड्राफ्ट की निधि-आधारित ऋण सुविधा के तहत देय राशि भी शामिल थी। निगमित ऋणी को दी गई सुविधा केवल बैंक गारंटी तक ही सीमित नहीं थी।

15. इसके अलावा, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत 29 अगस्त 2018 को पहले प्रतिवादी द्वारा एक

मांग सूचना जारी किया गया था। चूंकि निगमित ऋणी ने उक्त सूचना का सम्मान नहीं किया, इसलिए वसूली के लिए मूल आवेदन पहले प्रतिवादी द्वारा हैदराबाद में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया है। इसके अलावा, निगमित ऋणी ने 5 मई 2019 को 63,36,61,897.26 रुपये की सीमा तक ऋण स्वीकार किया। इसके अलावा, निगमित ऋणी की 31.03.2019 के रूप में बैलेंस शीट निगमित ऋणी की उक्त देनदारी को दर्शाती है।

16. यह सच है कि जहां तक बैंक गारंटी का संबंध है, तेलंगाना सरकार के कार्यकारी अभियंता ने बैंक को पत्र लिखकर बैंक गारंटी को फिर से मान्य करने का अनुरोध किया है। 8 जनवरी 2020 को सरकार ने सिंडिकेट बैंक को पत्र लिखकर उसमें उल्लिखित सात बैंक गारंटी का विस्तार करने के लिए कहा। पत्र में उल्लेख किया गया है कि यदि बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरण या विस्तार की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो बैंक गारंटी प्राप्त की जाएगी और राशि का भुगतान राज्य सरकार को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा बैंक गारंटी लागू की गई। उक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए, 9 जनवरी 2020 को निगमित ऋणी ने सिंडिकेट बैंक को एक पत्र संबोधित किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए दो अनुबंधों को पूर्व-बंद करने से संबंधित मुद्दा राज्य सरकार के सक्रिय विचारधीन था। पत्र में उल्लेख किया गया है कि यदि बैंक गारंटी को बढ़ाया नहीं गया,

तो सरकार द्वारा उन्हें भुनाने की संभावना है। इसलिए, निगमित ऋणी द्वारा बैंक गारंटी को फिर से मान्य करने के लिए बैंक से अनुरोध किया गया था। यद्यपि 18 जनवरी 2021 को एक पत्र द्वारा पहले प्रतिवादी ने विशेष रूप से निगमित ऋणी को सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी ने बैंक गारंटी और सुरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निगमित ऋणी के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है। उसी पत्र द्वारा, प्रथम प्रतिवादी ने निगमित ऋणी से बकाया राशि को तुरंत चुकाने का आह्वान किया। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निगमित ऋणी ने बैंक को देय राशि का भुगतान न करने के कारण आईबी कोड की धारा 3 (12) के तहत चूक की है।

17. बैंक द्वारा बड़ी संख्या में गारंटी जारी की जाती हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश सभी बैंक गारंटी से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, अंतरिम आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि निगमित ऋणी बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अंतरिम आदेश मात्र निगमित ऋणी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई को रोकता है।

18. यह मानते हुए भी कि एन. सी. एल. टी. के पास धारा 7 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने की शक्ति है, यदि ऐसा करने के लिए अच्छे कारण थे, मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता का आचरण ऐसा है कि ऐसा कोई अच्छा कारण मौजूद नहीं है जिसके आधार

पर एन. सी. एल. टी. धारा 7 के तहत आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर सकता था।

19. इसलिए, हम पाते हैं कि अपील में कोई योग्यता नहीं है, और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है। हर्जाने के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....जे.

(अभय एस. ओका)

.....जे.

(राजेश बिंदल)

नई दिल्ली;

11 मई, 2023.

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुवाद SUVAS
टूल की सहायता से किया गया है।

(जीतेन्द्र सिंह पोखरिया)

अनुभाग अधिकारी

24.08.23